

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री यशार्थ शेखर (आई.ए.एस.)

अन्तिम डिक्री

वादीगण

प्रतिवादीगण

खाराम पुत्र दानाराम जाति
जाट निवासी तुलछी नगर,
शिवकर, तहसील बाड़मेर
ग्रामीण व जिला बाड़मेर।

1 दानाराम पुत्र अचलाराम 2.निरमा पुत्री
दानाराम जाति जाट निवासी तुलछी नगर,
शिवकर, तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला
बाड़मेर 3. नेनू पुत्री दानाराम पत्नी ओमाराम
जाति जाट निवासी पटालीनाडी, रतेऊ तहसील
गिड़ा व जिला बालोतरा 4.पनी पुत्री दानाराम
पत्नी ओमाराम जाति जाट 5.रंभा पुत्री दानाराम
पत्नी खरथाराम जाति जाट निवासीयान
देवाणियों की ढाणी, शिवकर तहसील बाड़मेर
ग्रामीण व जिला बाड़मेर।

दावा बाबत् 88 वि 92 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 226 / 2024

निर्णय दिनांक :- 19.08.2025


वकील वादी व वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19.08.2025 को श्री यशार्थ शेखर, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि:-

वादीगण का वाद माफिक ईकबाली जवाब दावा स्वीकार किया जाकर भूमि मौजा तुलछी नगर पटवार हल्का शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1158/956 रकबा 1.6673 हैक्टेयर तथा मौजा ग्राम गोरदारासर पटवार हल्का बेरीवालातला तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1837/1250 रकबा 1.3840 हैक्टेयर की आई हुई हैं जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 05 को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ प्रत्येक को 1/6-1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त खसरान की भूमि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम रहन हैं अतः तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अन्तिम डिक्री आज तारीख 19.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(यशार्थ शेखर)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		
6 कमिश्नर की फीस		
7 आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़